रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 878] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939
No. 878] NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2017

का.आ. 985(अ).—सेवाओं या फ़ायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फ़ायद-ग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाना है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (विभाग कहा गया है), भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है, के पास निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं *(जिसे इसमे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है):*

क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना - दस्तकर सशक्तिकरण योजना

ख. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

ग. मानव संसाधन विकास

घ. कारीगरों को प्रत्यक्ष फायदा

ङ अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता,

च. मेगा क्लस्टर

छ. विपणन सहायता और सेवाएं

ज. अनुसंधान और विकास

झ. जम्मू - कश्मीर में अन्य शिल्पों का विकास

ञ. हस्तकला अकादमी की स्थापना और

ट. विभागीय कालीन प्रशिक्षण स्कीम।

और इस योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र को एक समग्र तरीके से विकसित करना है राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के अधीन फायदे और सेवाएं प्राप्त करने के निबंधनों और शर्तों को शामिल करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश www.handicrafts.gov.in पर उपलब्ध हैं;

और स्कीम के अधीन हस्तशिल्प कारीगरों या कालीन बुनकरों अथवा सिद्धहस्त शिल्पियों (जिसे इसमे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) और डिज़ाइनरों, विशेषज्ञों, संकायों, प्रशिक्षकों, काम पर लगाये श्रमिकों (जिसे इसमे इसके पश्चात सुकरकर्त्ता कहा गया है) को प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनारों, विपणन कार्यक्रमों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, सर्वेक्षण और अध्ययनों आदि (जिसे इसमे इसके पश्चात फायदा कहा गया है) उपलब्ध कराने के लिए मजदूरी मुआवजे, वजीफा, मानदेय, डिजाइनर शुल्क, सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए फीस, कारीगरों को वित्तीय सहायता, यात्रा भत्ते या महंगाई भत्ते, बीमा प्रीमियम, अन्य कल्याणकारी फायदे, टूल किट्स के वितरण (वस्तु रूप में) आदि के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और फायदाग्राहियों और सुकरकर्त्ताओं, दोनों को स्कीमों के अधीन सम्मालित रूप से फायदाग्राही कहा जाएगा;

और योजना पर विभाग के फील्ड कार्यालयों और देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मोनिट्रिंग की जाती है और विभाग के फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और बहुल एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है (जिसे इसमे इसके पश्चात बाद में कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है जैसे कि (क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 2) (फायदे के लिए नहीं) या अन्य परिनियमों या विश्वविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थानों (ख) केंद्रीय और राज्य हस्तशिल्प निगमों और केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन अन्य संगठनों (ग) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम रजिस्ट्रीकृत्त और (घ) एपेक्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी और राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स सोसाइटी (ङ) निर्माता समूह या स्वावलंबन समूह; (च) भारतीय जीवन बीमा निगम ; (छ) ऐसे व्यक्ति जैसे हस्तशिल्प कारीगर, प्रख्यात विद्वान और लंबे समय से हस्तशिल्प को बढ़ावा देने से जुड़े व्यक्ति आदि;

और स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वकित हैं;

अत:, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूरा करे।

   (2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराने के लिए आवेदन करना होगा, उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है,) जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनिमय 12 के अनुसार, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा जिन्होने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि उनके आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो स्कीम विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परंतु उस समय तक जबतक स्कीम के अधीन व्यष्टि, फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा अर्थात :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) i. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान पहचान पत्र; या

ii. आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या [पैन] कार्ड; या

iii. पासपोर्ट; या

iv. राशन कार्ड; या

v. कोई सरकारी पहचान पत्र; या

vi. बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

vii. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

viii. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र;

ix. विभाग द्वारा द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच संबन्धित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदसहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से,सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात

(क) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाती है। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केन्द्रों को सूची उपलब्ध कराई जाए। (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)।

(ख) यदि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के फील्ड कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदासहित प्रभारी अधिकारी या उसके क्रियान्वयन अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोडकर सभी राज्यों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. के-12012/8/9/2016-सी एंड पी]

आलोक कुमार, विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2017

S.O. 985(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Office of Development Commissioner (Handicrafts) (hereinafter referred to as the Department), in the Government of India, Ministry of Textiles is implementing National Handicraft Development Programme (NHDP) having the following Central Schemes (hereinafter referred to as the Schemes):

a. Ambedkar Hastshilp Vikas Yojna - Dastkar Shashktikaran Yojana;

b. Design & Technology Up-gradation;

c. Human Resource Development;

d. Direct Benefit to Artisans;

e. Infrastructure & Technology Support,

f. Mega Cluster;

g. Marketing Support & Services;

h. Research & Development;

i. Development of other crafts in Jammu & Kashmir;

j. Setting up of Hastkala Academy, and

k. Departmental Carpet Training Scheme.

And whereas, the purpose of the Scheme is to develop the handicraft sector in a holistic manner and the detailed guidelines including the terms and conditions of availing benefits and services under National Handicraft Development Programme are available at the website www.handicrafts.gov.in;

And whereas, under the Schemes, financial assistance in the form of Wage Compensation, Stipend, Honorarium, Designer fees, Fees for master craft persons, financial assistance to artisans, travel allowance or dearness allowance, insurance premium, other welfare benefits, distribution of tool kits (in-kind), etc for training, workshop, seminars, marketing events, buyer-seller-meet, survey and studies, etc(hereinafter

referred to as the benefits) is provided to handicraft artisans or carpet weavers or master craft persons (hereinafter referred to as the beneficiaries) and designers, experts, faculties, trainers, manpower hired (hereinafter referred to as the facilitators) and both beneficiaries and the facilitators shall collectively called as the beneficiaries under the Schemes;

And whereas, the Schemes are monitored through the Department's field offices and regional offices across the country and implemented through the Department's field offices, regional offices and various other agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) such as, (a) Institutions or organisations set up as autonomous organisations under a specific statute or as a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) (Not for profit) or other statutes or universities and recognized institutes (b) Central and State Handicrafts Corporations and other organisations under central and state government (c) voluntary organisations or non-government organisations registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860), Indian Trust Act, and (d) apex co-operative societies and National Level apex Societies (e) producer group or self help group; f) LIC of India; g) Individuals such as handicrafts artisans, eminent scholars, and persons associated with promotion of handicrafts for a long time, etc.;

And whereas, the Schemes involve recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) an individual eligible for availing benefits under the Schemes shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) an individual desirous of availing benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Schemes, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its field offices, regional offices and the Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, regional offices and the Implementing Agencies, may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as the UIDAI) or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India ; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income tax Department ; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Any Government ID Card; or

(vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Pehchaan Identity card issued by office of Development Commissioner Handicrafts, Ministry of Textiles;

(ix) Any other document as specified by the Department;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the respective Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department through its field offices, regional offices, and its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31st March 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, regional offices and its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officer in-charge specifically designated by the field offices and regional offices of the Department, or its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in the all States except the states of Assam, Meghalaya, and Jammu and Kashmir

[F. No. K-12012/8/9/2016-C&P]

ALOK KUMAR, Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.29 20:07:08 +05'30'